



अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट रायपुर (पाली)

प्रेम देवी वरुण वनाम श्रीता देवी व वरुण

सं. मुकदमा 53 ए 188 नं. 99/सन्. 2019

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
	<p>वादी/वादीगण की ओर से वादपत्र वकील श्री. अशोक सिंह द्वारा विरुद्ध प्रतिवादी/प्रतिवादीगण पेश किया गया। अतः वादी/वादीगण का वाद विरुद्ध प्रतिवादी/प्रतिवादीगण श्रीता देवी व वरुण अन्तर्गत धारा 53 ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की जरिये सम्मन तलबी जारी होकर पत्रावली दिनांक 24/9/2019 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी रायपुर (पाली)</p>	<p>14/9/2019</p>
<p>24/9/2019</p>	<p>पत्रावली पेश हुई वादी व वादी उपाय पूर्व आदेश की पालना में सम्मनोपरीत रूपान्तरित अतः इन्तजाह हेतु कामकाज दि 21/11/2019 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी रायपुर (पाली)</p>	
<p>22/10/2019</p>	<p>वादी के प्राप्ति पर पत्रावली काज दि 22/10/2019 को पेश हुई। वकील वादी उपाय प्रतिवादीगण से। खेलागाथन से की ओर से वकील श्री जसवंत सिंह सारवला ने वकालतनामा पेश किया जो शा. क्रि. हा. वादीगण से प्रतिवादीगण ने राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि राजीनामा अनुसार वाद डिस्मि किया जावे। हमें कोई उजर क्षरक नहीं है। राजीनामा समील मिले कि कामकाज।</p>	

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	<p> हमने पत्रावली राजीनामा एव वसुलाफ्त के कथनों का बारीकी से मगन किया। राजीनामा अनुसार वांड डिकी किफा जागर न्यायोचित समझते हैं अतः वांडी का वांड राजीनामा अनुसार डिकी किफा जागाई विस्तृत निर्णय व डिकी पुथक से लिखा जाकर शा. कि. हो पालनाथ राहसी तहसील रामपुर को जारी है। पत्रावली फिल श्रुमा होकर डी नम्बर से कम है। </p> <div style="text-align: right;">   </div>

